न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127 / 2023

1 ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 जयसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सबीर कुमार उर्फ सतवीर कुमार पुत्र दुलीचन्द उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 दयाराम सिंह पुत्र श्री दुलीचन्द आयु 52 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 बलवान सिंह पुत्र श्री दुलीचन्द उम्र 48 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
4 सुबेसिंह पुत्र श्री दुलीचन्द उम्र 44 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
5 मुकेश कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
6 नरेश कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द उम्र 37 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
7 रज्जो देवी पत्नी दुलीचन्द उम्र 72 साल जाति मेघवाल निवासी ठोठी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट / प्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोंडेंठ(अप्रार्थी संख्या 3)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर बुहाना, जिला झुन्झुनू राजस्थान बउनवानी
प्रकरण सबीर कुमार व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य
प्रकरण संख्या 259/2023 में एकतरफा अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा गलत तरीके से पारित की गई तथा आज तक
आदेश 39 नियम 3 के नियमों की कोई पालना नहीं की।

उपस्थिति :

1. श्री अमरपाल भीमसरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 2.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 259/2023 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 199, 200, 24, 25, 26, 27 वाके ग्राम ठोठी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के महत्वपूर्ण तीनों बिन्दु सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति और प्रथम दृष्टया मामला का अपने आदेश में उल्लेखित नहीं किया कि यह तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रमाणित किस प्रकार से है। जबकि कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करते समय न्यायालय को टीआई के महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का तार्किक विवेचन करते हुये उक्त बिन्दु प्रमाणित पाये जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी थी लेकिन विचारण न्यायालय ने इस प्रकार के तीनों बिन्दुओं का कोई विवेचन विश्लेषण किये बिना आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना नहीं की गई है। विचाराधीन आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य हको के निर्धारण के लिए विचारण न्यायालय में वाद लम्बित है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। जिसका निस्तारण उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत अंतिम रूप से किया जाना शेष है। इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य हको के निर्धारण के लिए विचारण न्यायालय में वाद लम्बित है। पक्षकारों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। जिसका निस्तारण उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत अंतिम रूप से किया जाना शेष है। इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर